

कार्यालय आदेश

सर्वश्री वंदना पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज को औद्योगिक प्रांगण, बारुण में कार्यालय पत्रांक 1025/डी दिनांक 26.03.21 द्वारा प्लॉट संख्या-पी-21 रकवा 14000 वर्गफीट भूमि का आवंटन Non Woven Bag, Paper Bags, 3 Ply Mas, Paper Plates, Cup, Glass and All type Paper Cartoon etc के उद्योग स्थापित करने हेतु किया गया।

भू-आवंटन पत्र में निहित कंडिका 20A(b) के अनुसार प्रथम किस्त (10 प्रतिशत) की राशि का भुगतान आवंटन पत्र निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर करना था। निर्धारित अवधि के अंदर राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण पत्रांक 2190/डी दिनांक 16.07.21 द्वारा प्रथम किस्त की राशि जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया, परन्तु इकाई द्वारा अद्यतन प्रथम किस्त (10 प्रतिशत) की राशि का भुगतान नहीं किया गया। जो भू-आवंटन पत्र में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में भू-आवंटन पत्र में निहित शर्तों, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों में प्रदत्त शक्ति के तहत सर्वश्री वंदना पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, बारुण को आवंटित प्लॉट संख्या-पी-21 रकवा 14000 वर्गफीट भूमि का आवंटन रद्द किया जाता है।

रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में उद्यमी का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश

दिनांक 14.12.21

ह0/-

कार्यकारी निदेशक।

दिनांक.....

ज्ञापांक:-.....

प्रतिलिपि:-सर्वश्री वंदना पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, बारुण, सत्वाधिकारी:-श्रीमती रानी तिवारी, पता:-ईस्ट मोहन बिगहा, डालमिया नगर, सुभाष नगर, डेहरी-ऑन-सोन, जिला-रोहतास (बिहार), 821307 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

कार्यकारी निदेशक।

दिनांक.....

ज्ञापांक.....

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा, बियाडा, पटना/अमीन, बियाडा, पटना/आई0 टी0 शाखा, बियाडा, पटना/ क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक प्रांगण, बारुण/प्रबंध निदेशक कोषांग(प्रभारी), बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/12/21
कार्यकारी निदेशक।